E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(3): 93-97
Received: 01-05-2022
Accepted: 05-06-2022

पूजा सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. के.के. सिंह
सेवानिवृत्त प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
पूजा सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

रीवा जिले में घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिकाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पूजा सिंह, डॉ. के.के. सिंह

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिले में घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का निर्माण किया गया है। इसमें रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित परिवार परामर्श केन्द्र से 10 (02 कर्मचारी, 02 सामाजिक कार्यकर्ता, 02 काउंसलर, 02 महिला हेल्पलाइन व 02 अधिकारियों) और सभी विकासखण्डों से 40–40 अर्थात कुल 360 महिला उत्तरदाताओं से जिसमें सभी शहरी एवं ग्रामीण, सभी धर्म एवं आयु के लोग सम्मिलित है, आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। शोध क्षेत्र में 90.00 प्रतिशत परिवार परामर्श केन्द्र के (कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, महिला हेल्पलाइन व अधिकारियों) और 72.78 प्रतिशत महिला उत्तरदाता सहमत थे कि परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है।

कुटशब्दः रीवा जिला, घरेलू महिला उत्पीड़न, परामर्श केन्द्र, भूमिका

1. प्रस्तावना
घरेलू हिंसा रोकने के लिए घर में रहने वाले स्त्री–पुरूषों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह शुरूआत शिक्षा एवं जनचेतना के कार्यों से ही सम्भव है। यानी घरों में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अध्यापक, विद्यार्थी, जन संगठन महिला संगठन, बुद्धिजीवी, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका आदि सभी को आगे आना होगा सभी को एक साथ बैठकर रणनीति तय करनी होगी तभी घर की चार दीवारी में घटित हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा।

महिलाओं की छवि निरक्षर, पिछड़ी, रूढिवादी और घूँघट लेने वाली पारम्परिक औरतों की रही है। एक प्रकार की इस नकारात्मक छवि के बावजूद राजस्थान की इन्हीं आम मजदूर, कम पढ़ी–लिखी या अपनढ़ महिलाओं ने न्यूनतम मजदूरी, घरेलू हिंसा, सती प्रथा, कुप्रथा तथा बलात्कार जैसे मामलों को उठाया तथा अन्य कई लोकतांत्रिक मुद्दों पर संघर्ष की अगुवाई कर नेतृत्व प्रदान किया औरतों के लिए अवसर आए, शिक्षा प्रचार–प्रसार हुआ। अपनी स्थिति पर उनके बीच चर्चा व मन्थन की शुरूआत हुई तथा राजस्थान की आम औरतों ने अपनी आवाज को बुलन्द करना शुरू किया यह एक पुनर्जागरण की शुरूआत थी।

महिला की स्वयं की आर्थिक स्वायत्त हैसियत नहीं होना तथा राजस्थान की उच्च जातियों में विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह का प्रावधान नहीं होना भी सती होने का एक प्रमुख कारण बन गया था जिन जाति समुदायों में पुनर्विवाह या नाता प्रथा मौजूद थी उनमें सती की अवधारणा के कोई स्थान नहीं था। गॉव की महिलाओं को सती विरोधी आन्दोलन में अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास हुआ तथा वे सती पूजन की राजनीतिक चाल को भी समझ गयी। जब महिला जागरण का दौर चला तथा रूढ़िवादी समाज के कर्मकांड और कुरीतियों को चोट पहुँची तो सामन्तवादी प्रवृन्ति को इससे धक्का लगा। इस आन्दोलन का रूझान पुरूषों के खिलाफ न होकर बराबरी और अवसरों की समानता की तलाश की ओर ही अधिक रहा। औरतों पर हिंसा भी बढ़ रही है। यदि कोई आन्दोलन चल रहा होता तो औरतों की स्थिति तो बेहतर ही होती।

औरतों के जीवन में जहॉ कही भी शोषण, अन्याय और भेदभाव हो उसका विरोध या आन्दोलन वही जन्म लेता है यह और बात है कि विरोध को तब लोग कभी तो पश्चिम के नारी के मुक्ति के प्रभाव बताते है तो कभी भारतीय संस्कृति से कटी हुई औरतों का संघर्ष 1970 के दशक में जब विश्वभर में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र एजेसिंयों का ध्यान गया तो उसी की कड़ी में भारत में स्त्री विमर्श और महिला अध्ययन की शुरूआत हुई तो सबसे पहले दिल्ली में सेन्टर ऑफ विमेन्स डेबलपमेन्ट स्टडीज और मुम्बई के एस.एन.डी.टी. यूनिवर्सिटी में 'स्त्री विमर्श पर ध्यान केन्द्रित हुआ। हमारे देश में तब बीना मंजू मदार नीरा देसाई और मैत्रेयी निभाई और 1975 में महिलाओं केयोगदान

उनके संघर्षों उनकी स्थितियों पर खोज करना उन्हे समाज के सामने रखने का सिलसिला शुरू हुआ।

देश में पिछले ढाई दशक से महिला आन्दोलन ने भी इसी दिशा में छुटपुट प्रयास किए है इस आन्दोलन से एक माहौल बना है। इन आन्दोलन का असर यह हुआ कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कई कानूनों में बदलाव हुआ, कई नई संस्थाएं बनी और कुछ नीतियों में परिवर्तन आया।

घरेलू हिंसा को लेकर भारतीय दण्ड संहिता में 498ए व 304बी जैसे महत्वपूर्ण धाराएँ जुड़ी, दहेज निषेध अधिनियम में परिवर्तन आए, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मजबूत दीवानी कानून भी संसद में विचाराधीन है। नई संस्थाएँ जैसे पारिवारिक अदालते, महिला थाने, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, जिला स्तर की महिला सहायता समितियॉ, अल्पावास गृह परिवार परामर्श केन्द्र भी अस्तित्व में आए है। कुछ नीतियॉ भी बनी है जैसे– महिला नीति पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का कानून, जिससे महिला सशक्तीकरण बढ़े और महिला हिंसा को रोका जा सके।

महिलाओं को हिंसा से कितनी राहत मिल रही है यह एक विचारणीय विषय है। घरेलू हिंसा को अभी तक सिर्फ आपराधिक कानून के दायरे में देखते रहे हैं उससे महिला को ज्यादा मद्द नहीं मिली बल्कि या तो उसका घर टूटा और वह सड़क पर आ गई या बच्चों पर प्रभाव पड़ा। इससे कई बार औरतों को हिंसा झेलना ज्यादा ठीक लगा। हिंसा के विरोध का उनके लिए मतलब था सीधा सड़क पर आ जाना। कानून पुलिस व न्यायालय इस दिशा में उनकी ज्यादा मद्द नहीं कर पाए।

सशक्तीकरण की बहस में यह देखना आवश्यक है कि घरेलू हिंसा सामाजिक मुद्दा है क्योंकि हिंसा के कारण औरत अपने नागरिक अधिकारों व इन्सान बनने के हक से वंचित होती है। घर में होने के कारण ही इसे व्यक्तिगत मुद्दा नहीं माना जा सकता। घर में गैर बराबरी का एक संकेत है यह हिंसा। इस हिंसा से औरत की पहचान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता व क्षमता सब पर असर पड़ता है।

1. लड़की का पीहर या ससुराल में अधिकार का न होना हिंसा का ही रूप है।
2. वे सब प्रक्रियाएँ और कार्य घरेलू हिंसा है जो शारीरिक, मौखिक दृश्यगत, आर्थिक अथवा यौन शोषण को घर परिवार में विशेष रूप से बच्चे, वृद्ध महिलाएँ, भय, आक्रमण, प्रताड़ना के रूप में पीड़ा व चोट के रूप में अनुभव करते हैं जिनके कारण इन्हें निम्न व छोटे होने का अहसास कराने का प्रयास किया जाता है।
3. घरेलू हिंसा प्रायः अदृश्य होती है क्योंकि इसके अन्तर्गत वे लोग होते हैं जिन्हें समान प्राथमिक प्रतिष्ठा के आचरण में उन्हें सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं माना जाता है।
4. घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पति या पत्नी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार के साथ–साथ माता–पिता व पुत्री व पुत्र के साथ, पुत्र व पुत्रवधू का वृद्ध माता–पिता अथवा सास–ससुर के साथ हिंसात्मक व्यवहार या प्रक्रियाएँ शामिल है।
5. हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व यौनिक होती है। इससे मनोंवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह गहराई तक औरत को प्रभावित करती है। कभी तो वह पागल या मनोरोगी तक हो जाती है या उसके अन्दर तक असुरक्षा घर कर जाती है असहाय व शक्तिहीनता का अहसास बढ़ जाता है जीने की सम्भावना पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
6. घरेलू हिंसा का एक अन्य रूप है– दैनिक व्यवहार में ताने देना, पागल, बाझ, अपशकुनी आदि कहना और लड़की पैदा होने पर औरत को प्रताड़ित करना इसी का दूसरा पक्ष है।
7. न कानून से हक मिलता है और न समाज से। इस कारण शादी के बहुत सालों बाद भी जब चाहे औरत को सड़क पर निकाल दिया जाता है यह हिंसा का उग्र रूप है।
8. दहेज के लिए हर समय ताने देना, तंग करना, मार–पिटाई करना, मारने का प्रयास या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, हिंसा का यह भी प्रचलित रूप है।
9. स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज न करवाना, पूरा भोजन न देना भी हिंसा है। स्वास्थ्य व प्रजनन पर नियंत्रण न होना भी हिंसा का रूप है।

केन्द्र सरकार ने महिला और नाबालिक बच्चों को घरेलू अत्याचार से बचाने के लिए कानून बनाकर एक हथियार मुहैया कराया है इसके बावजूद पारिवारिक भय, लोकलाज और अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण ज्यादातर महिलाएँ प्रताड़ित होती रहती है पर वे चू तक नहीं करती है यही कारण है कि सरकार द्वारा मुहैया कराया गया यह हथियार खोखला ही साबित है।

घरेलू हिंसा हर तरह के सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर के घरों में भी होती है। देखा जाय तो आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रही है उसके बावजूद उन पर घरेलू हिंसा होती है हिंसा के रूप अलग–अलग होते हैं हर पॉच में से उन्हें शारीरिक व मानसिक यातना से औरतों को गुजरना पड़ता है।

आयोग के अनुसार, 2019 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 19,730 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2020 में संख्या 23,722 हो गई। लाकडाउन के एक साल बाद भी आयोग में हर महीने ऐसे दो हजार मामले दर्ज हो रहे हैं। इसमें से एक चौथाई घरेलू हिंसा के हैं। जनवरी से 25 मार्च 2021 तक घरेलू हिंसा की 1463 शिकायतें दर्ज हुई हैं। बीते साल 25 मार्च से लाकडाउन शुरू हुआ, तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, भी प्रताड़ित करने वालों के साथ फंस गईं। नतीजतन घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों की बाढ़ आ गई।

अप्रैल 2020 से अब तक महिलाओं हिंसा के अपराधों की संख्या 25,886 है। इसमें से 5865 घरेलू हिंसा के हैं। सबसे हैरानजनक है कि छह साल में पहली बार वर्ष 2020 में हिंसा के सर्वाधिक 23,722 मामले दर्ज किए गए। इसमें से एक चौथाई मामले घरेलू हिंसा के हैं। ये आंकड़े वो हैं जो दर्ज हुए, बहुत से ऐसे मामले भी होंगे, जो रिकार्ड में नहीं आए।

मध्यप्रदेश की रीवा पुलिस ने पति–पत्नी के बीच अलगाव को रोकने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। बताया गया कि अक्सर पति–पत्नी के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कंट्रोल रूम में एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से दोनों परिवारों को समझाएं देकर विवादों को हल करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में आईजी चंचल शेखर और एसपी आबिद खान खुद मौजूद रहे।[2]

शिविर में करीब 40 प्रकरण पहुंचे थे। जिनको परिवार परामर्श केंद्र व पुलिस विभाग की महिला अधिकारियों की मदद से समझाइश दी गई। शिविर में कई परिवारों को लाभ मिला और उन्होंने मिलजुल कर रहने का संकल्प लिया। इस दौरान आईजी ने भी शिविर में परिवारों से कहा कि घर के छोटे–मोटे विवाद आपसी रजामंदी से सुलझा लिए जाएं। कई बार इन विवादों के चलते दो परिवार उजड़ जाते हैं। मामला दर्ज होता है और बाद में दोनों परिवार सालों तक भटकते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सदियों से संयुक्त परिवार की परंपरा रही है और उसी के कारण परिवार उन्नति करता है।

आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि आर्थिक असुरक्षा, तनाव का बढ़ता स्तर, घबराहट, वित्तीय चिंता के साथ परिवार से भावनात्मक सहयोग न मिलने के कारण भी ऐसे मामले बढ़े हैं। इस हालात में महिलाओं पर एक ही समय में दबाव बढ़ गया है।

यथार्थ में आंकड़ों से ज्यादा है हिंसा का प्रतिशत क्योकि ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामले पुलिस तक नहीं पहुँचते है या केस ही दर्ज नहीं किये जाते हैं। गॉव, समुदाय, पंचायत स्तर पर नितान्त पुरूष प्रधान माहौल और नजरिए से इस हिंसा को निपटाने का प्रयास होता है। शहर में घर की इज्जत चली जाएगी, 'परिवार टूट जायेगा' या 'बदनामी होगी' इन कारणों से अधिकांश मामले पुलिस तक नहीं पहुँचते है औरते या तो परेशान होकर अलग रहने लग जाती है या चुपचाप हिंसा को सहती रहती है।

1.1 परिवार परामर्श केन्द्र की भूमिका

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार परामर्श केंद्र योजना वर्ष 1983 में शुरु की गई। इन केंद्रों में अत्याचार, पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं और बच्चों को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, ये संकट के समय आवश्यक कदम उठाकर हस्तक्षेप करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सदमे से उबरने के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये केंद्र महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता लाने और जनमत बनाने का काम भी करते हैं। परिवार परामर्श केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, चिकित्सा एवं मनश्चिकित्सा संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पावास गृहों आदि के सहयोग से कार्य करते हैं।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

सर्वाधिक संख्या घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की है। घरेलू हिंसा को सामाजिक मुद्दा नहीं माना जाता है। अगर औरत हिंसा न सहे और उसका खुलकर विरोध प्रदर्शित करें तो इस कृत्य को समाज अच्छा नहीं मानता है उसे चुप रहकर सब कुछ सहने की शिक्षा दी जाती है और औरतों का सामाजीकरण इस तरह होता है कि वह स्वयं को ही गलत समझती रहती हैं। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिकाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. शोध की परिकल्पनाएँ

परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है।

4. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया हैः–

- शोध क्षेत्र में पारिवारिक कलह, शराबखोरी आदि की स्थिति का अध्ययन करना।
- इन समस्याओं के समाधान हेतु मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाना।
- इन समस्याओं के समाधान हेतु परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका का अध्ययन करना।

5. शोध समस्या का सीमांकन

5.1 भौगोलिक परिसीमनः प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र रीवा जिला है। इसके अन्तर्गत सभी विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

5.2 विषयवस्तु का परिसीमनः अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन, जिला अन्तर्गत घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

6. शोध विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 साक्षात्कार विधिः शोध क्षेत्र में समन्वित घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में महिलाओं से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

रीवा जिले में घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिकाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित परिवार परामर्श केन्द्र से 10 (02 कर्मचारी, 02 सामाजिक कार्यकर्ता, 02 काउंसलर, 02 महिला हेल्पलाइन व 02 अधिकारियों) और सभी विकासखण्डों से 40–40 अर्थात कुल 360 महिला उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने घरेलू महिला उत्पीड़न पर परामर्श केन्द्र की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की वर्तमान स्थिति पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – कौशिक आशा (2004)[1], पत्रिका (26 मई 2019)[2], पत्रिका (24 जून, 2019)[3], ममता (2010)[4], शर्मा, मंजू (2008)[5], शर्मा, पूजा (2012)[6], सिंह, रुचि एवं सिंह के.के. (2022)[7] एवं सिंह, पूजा एवं सिंह, के.के. (2022)[8].

9. शोध क्षेत्र का परिचय

रीवा जिला 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81. 2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

सारणी क्रमांक 1: परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है, का अध्ययन

क्र.	उत्तरदाता	न्यादर्श में चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	सहमत		असहमत		पता नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार परामर्श केन्द्र	10	9	90.00	1	10.00	0	0
2.	महिला उत्तरदाता	360	262	72.78	35	9.72	63	17.5
योग		370	271	73.24	36	9.73	63	17.03
काई वर्ग (χ^2)			268.16					
'पी' मान			0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक है					

स्वतंत्रता के अंश 2
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 5.991
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 9.210

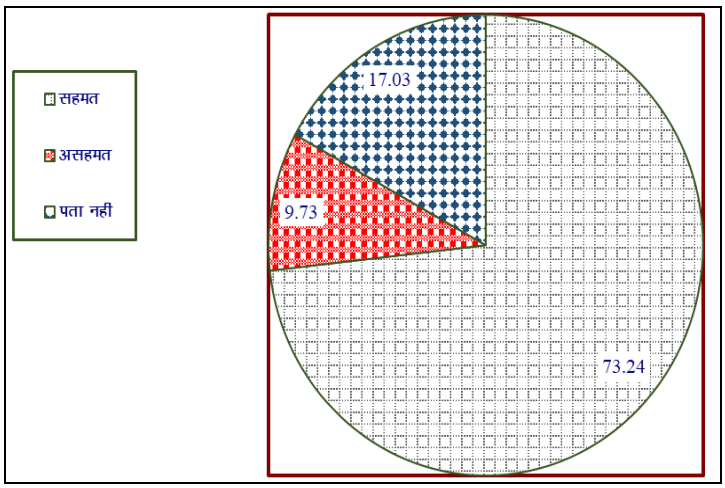

आरेख क्र. 1: समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है, का आरेखीय निरुपण

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 में परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है, से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। इसके लिए साक्षात्कार पत्रक के माध्यम से न्यादर्श में चयनित परिवार परामर्श केन्द्र से 10 (02 कर्मचारी, 02 सामाजिक कार्यकर्ता, 02 काउंसलर, 02 महिला हेल्पलाइन व 02 अधिकारियों) और सभी विकासखण्डों से 40–40 अर्थात कुल 360 महिला उत्तरदाताओं से जिसमें सभी शहरी एवं ग्रामीण, सभी धर्म एवं आयु के लोग सम्मिलित है, आंकड़ों का संग्रहण किया गया है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में 90.00 प्रतिशत परिवार परामर्श केन्द्र के (कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, महिला हेल्पलाइन व अधिकारियों) सहमत थे कि परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है। इसी संदर्भ में 10.00 प्रतिशत लोग असहमत भी थे।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में 72.78 प्रतिशत महिला उत्तरदाता सहमत थे कि परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है। इसी संदर्भ में 9.72 प्रतिशत लोग असहमत एवं 17.5 प्रतिशत इस संबंध में पता नहीं कि परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है।

इसी प्रकार तीन समूहों के मध्य सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक है, क्योंकि गणना से प्राप्त 'काई' वर्ग का मान 268.16 आया है, जो कि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर एवं 2 स्वतंत्रता के अंश का मान क्रमशः 5.991 एवं 9.210 से अधिक है।

अतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है।

निष्कर्ष

भारत में उदाहरण के लिए राज्य सरकारों ने कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, पारिवारिक अदालतों, लोक अदालत और महिला लोक अदालत और पारिवारिक परामर्श केन्द्र की स्थापना की है। एक हाल के मूल्यांकन के अनुसार ये संस्थाएं बुनियादी तौर पर पारिवारिक मेल–मिलाप बढ़ने वाली समाधनात्मक क्रियाविधियां अपनाती है, जो केवल समझौता और परामर्श पर आधारित होती है। समाधनात्मक क्रियाविधियों के रूप में इन संस्थाओं की संख्या संतोषजनक रूप से भी कम है।

महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा न केवल व्यापक है, बल्कि भयावह भी है। इसलिये उससे निपटने के लिए अनेक संगठन और संस्थाएँ विभिन्न स्तरों पर यथा – सामाजिक, आर्थिक, कानून, स्वास्थ्य, समाज सेवाओं आदि पर कार्य कर रही है, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक भयानक रूप है घरेलू हिंसा जो प्रायः समाज और जनता के सामने जल्दी नहीं प्रकट हो पाता। जबकि सच्चाई यह है कि इससे पूर वि़श्व में बहुत बड़ी संख्या में प्रताड़ित हो रही है।

अतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होने वाली महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव नही हो पाती, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श परिवार परामर्श केन्द्रों की भूमिका से की जाती है।

संदर्भ

1. कौशिक आशा नारी सशक्तीकरण विमर्श एवं यथार्थ जयपुर पोइन्टर, 2004
2. रीवा पत्रिका – 26 मई 2019.
3. पत्रिका 24 जून 2019 – 'महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र शिविर', रीवा
4. ममता– घरेलू हिंसा, अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरुकता, रिगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, 77–81.
5. शर्मा, मंजू – 'नारी शोषण और मानवाधिकार' प्रकाशन राज पब्लिशिंग हाउस 44, परनामी मन्दिर जयपुर, प्रथम संस्करण, 2008
6. शर्मा, पूजा – महिलाएँ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, 64–65.
7- सिंह, रुचि एवं सिंह, डॉ. के.के. रीवा जिला में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, International Journal of Advanced Academic Studies. 2022;4(1):349-35.
8- सिंह, पूजा एवं सिंह, डॉ. के.के. रीवा जिला में घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, International Journal of Applied Research. 2022;8(3):451-454.
9. रीवा रियासत 16 फरवरी 2021 – फिल्म टायलेट एक प्रेम कथा की कहानी रीवा में हकीकत बन गई, यह मामला परिवार परामर्श केन्द्र में काउंसलिंग के लिए पहुंचा है।